न्यायालय सहायक कलक्टर, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :– **856 / 2024**

भागीरथसिंह बनाम रघुवीरसिंह वगै0

भागीरथ सिंह पुत्र श्री लालुराम जति जाट निवासी खेदडों की ढाणी तन टीटनवाड तहसील गुढागौड़जी जिला झुन्झुनू राज्य राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. रघुवीर सिंह पुत्र शकर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टीटनवाड तहसील गुढागौड़जी, झुंझुनूं
2. राजवीर सिंह पुत्र शकर सिह जाति राजपूज निवासी टीटनवाड़ जिला झुन्झुनूं।
3. सरोज कवर पुत्री शंकर सिंह जाति राजपूज निवासी टीटनवाड़ जिला झुन्झुनूं।
4. गीता कवर पत्नि शंकर सिंह जाति राजपूज निवासी टीटनवाड़ जिला झुन्झुनूं।
5. पूजा कवर पुत्री शंकर सिंह जाति राजपूज निवासी टीटनवाड़ जिला झुन्झुनूं।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
7. मैनेजर एस०बी०आई० शाला टीटनवाढ जरिये शाखा प्रबन्धक।

---- प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से वाद पत्र निम्न आशय का पेश किया गया :–

यह कि वादी व प्रतिवादी एक ही जगह के रहने वाले है व वादी व प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.0400 हेक्टर खसरा नम्बर 1289 रकबा 1.08 हेक्टर खसरा नम्बर 1291 रकबा 1.06 हैक्टर कुल रकबा 2.1800 हैक्टर स्थित है । आगे उपरोक्त भूमि को विभाजन योग्य भूमि कहां गया है। उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1288, 1289, 1291 तादादी 2.18 हेक्टर खाता संख्या 324 वाके ग्राम टीटनवाड पटवार हल्का टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी हाल तहसील गुढागौड़जी में स्थित है। उपरोक्त भूमि को मौके पर विभाजन कर रखा है लेकिन राजस्व रिकार्ड शामलाती होने से विभाजन कर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त भूमि में वादी का 141/218 हिस्सा 1.41 हेक्टर है व खातेदार काश्तकार है मौके पर अलग काश्त करता है। इस भूमि से अपने हिस्सों की भूमि का विभाजन करवाना चाहता है क्योंकि न तो प्रार्थी लोन ले सकता है न ही पटटा आदि बना सकता है । इसलिये उपरोक्त भूमि में वादी के हिस्से का राजस्व रिकार्ड के अनुसार विभाजन कर अलग राजस्व रिकार्ड कायम किया जावे । विवादित भूमि के सह खातेदारों को कहा कि राजस्व कैम्प में चलकर विभाजन करवा लेते है लेकिन मना कर दिया। इसलिय वादी को 1.12.2021 की वादाधिकार अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में पैदा हुआ है।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार वाद वादी दिनांक 18.10.2024 को प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुढागौड़जी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0 अ0/2024/2889 दिनाक 12.12.2024 के द्वारा न्यायालय में पेश किये। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार वर्मा उपस्थित आये। वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने जाहिर किया कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में कोई आपति नहीं है। अधिवक्ता वादी को सुना जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम तौर पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

—: निर्णय :—

वाद वादी **अंतिम** रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम टीटनवाड़ पटवार हल्का टीटनवाड़ में हाल भूमि खसरा सख्यां **1288** रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1289 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर **1291** रकबा 1.06 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.18 हैक्टर कृषि भूमि का तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

11/2/25

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुन्झुनू